राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005)
दूरभाष सं0. 0141–2222403 वेबसाइट www.cmar.india.org ई–मेल dlbrajasthan@gmail.com

---

क्रमांकः– प.2(च)( )/एसीबी/जांच/डी.एल.बी/23/स्पे–1 दिनांकः–05.08.2023

–ःआदेशः–

नगर निगम जयपुर हैरिटेज में आवेदित पट्टे की फाइल में पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग करने से संबंधित प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को प्राप्त होने पर ब्यूरों द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर दिनांक 04.08.2023 को कार्यवाही करते हुये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा आरोपी श्री सुशील गुर्जर मेयर पति नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं उसके दो दलालों को 02 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी श्री सुशील गुर्जर मेयर पति नगर निगम जयपुर हैरिटेज के निवास से 40 लाख रूपये से अधिक नगदी बरामद हुई। ब्यूरों द्वारा मेयर पति एवं दोनों दलालों को गिरफ्तार किया जाकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। परिवादी के पट्टे की फाइल मेयर पति के घर से बरामद होना, तथा श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज की घर पर उपस्थिति में मेयर पति द्वारा 02 लाख रूपयें की रिश्वत राशि प्राप्त करने के तथ्यों के मध्यनजर् श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज की प्रकरण में प्रथम दृष्ट्ता संलिप्पता प्रतीत होती है। श्रीमती मुनेश गुर्जर का उपरोक्त कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(घ)(ii)(iii)(vi) के तहत है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रकरण की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत जांच करवाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं सदस्य वार्ड संख्या 43 का कृत्य गम्भीर प्रकृति का है। एवं उनके महापौर के पद पर बने रहने से विचाराधीन जांच को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना है। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं सदस्य वार्ड संख्या 43 को महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं सदस्य वार्ड न0. 43 नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः– प.2(च)( )/एसीबी/जांच/डी.एल.बी/23/स्पे–1 दिनांकः–05.08.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01 निदेशक लेखन एवं मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज. राजपत्र के भाग–6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

02 निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

03 निजी सचिव, मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।

04 निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।

05 जिला कलक्टर, जयपुर।

06 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर।

07 आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

08 उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।

09 उप खण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण।

10 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को प्रकरण में केवियट दायर किये जाने हेतु।

11 श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज मार्फत आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

12 सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव